संख्या-13/2016/वे0आ0-2-202/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

नियोजन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 29 फरवरी, 2016**

विषय- राज्य योजना आयोग के लिपिकीय संवर्ग, लेखा संवर्ग तथा आशुलिपिक संवर्ग का ढॉचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया) सचिवालय से इतर विभागों के अनुसार अथवा सचिवालय से समानता के आधार पर निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग के लिपिकीय संवर्ग, लेखा संवर्ग तथा आशुलिपिक संवर्ग का ढॉचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया) सचिवालय से इतर विभागों के अनुसार अथवा सचिवालय से समानता के आधार पर निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:-

-

(1) राज्य योजना आयोग के लिपिक एवं आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक संवर्ग का ढॉचा सचिवालय से समानता के आधार पर निर्धारित किये जाने की स्थिति नहीं है।

(2) राज्य योजना आयोग के लिपिकीय एवं आशुलिपिक संवर्ग के ढॉचे को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु उक्त संवर्गो के वर्तमान में निर्धारित ढॉचे (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया) का पुनर्गठन करते हुए निम्नानुसार पुनर्गठित ढॉचा (पदनाम वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया) निर्धारित किया जायः--

लिपिकीय संवर्ग

वर्तमान ढॉचा			पुनर्गठित ढॉचा	
क्र0 सं0	**पदनाम/पद संख्या पूर्व वेतनमान**	**अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया**	**पदनाम/पद संख्या**	**अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	(सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)		वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनु सचिव/01 10000-15200 (वेतन बैण्ड-3 एवं 6600)	नियमावली प्रख्यापन की कार्यवाही व्यवहृत है।	अनु सचिव/01 वेतन बैण्ड-3 एवं 6600	
2	अनुभाग अधिकारी/02 6500-10500 (वेतन बैण्ड-2 एवं 4600)	मौलिक रूप से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक की प्रोन्नति द्वारा।	अनुभाग अधिकारी/02 वेतन बैण्ड-2 एवं 4800/-	मौलिक रूप से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक की प्रोन्नति द्वारा।
3	प्रवर वर्ग सहायक/09 5500-9000 (वेतन बैण्ड-2 एवं 4200/-)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती, अर्हता- स्नातक 50 प्रतिशत पदोन्नति मौलिक रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों से।	प्रवर वर्ग सहायक/06 वेतन बैण्ड-2 एवं 4600/-	मौलिक रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायक (वरिष्ठ वेतनमान) की प्रोन्नति द्वारा।
4	-	-	अवर वर्ग सहायक (वरिष्ठ वेतनमान)/08 वेतन बैण्ड-2 एवं 4200/-	50 प्रतिशत सीधी भर्ती, अर्हता- स्नातक 50 प्रतिशत पदोन्नति मौलिक रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायक (कनिष्ठ वेतनमान) से ।
5	अवर वर्ग सहायक/09	50 प्रतिशत	अवर वर्ग	मौलिक रूप से

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 एवं 2800/-)	सीधी भर्ती, अर्हता-स्नातक 50 प्रतिशत मौलिक रूप से कार्यरत टंकको की प्रोन्नति द्वारा।	सहायक (कनिष्ठ वेतनमान)/05 वेतन बैण्ड-1 एवं 2800/-	कार्यरत कनिष्ठ सहायकों की प्रोन्नति द्वारा।
6	टंकक/11 3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-)	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता तालिका के नीचे अंकित	कनिष्ठ सहायक/ 10 वेतन बैण्ड-1 एवं 2000/-	भर्ती की प्रक्रिया/ अर्हता तालिका के नीचे अंकित
	कुल पद संख्या 32		कुल पद संख्या 32	

टंकक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता

शत प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता - इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।

कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता

(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती।

अर्हता-इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।

(2) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।

05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।

आशुलिपिक निजी सचिव संवर्ग

वर्तमान व्यवस्था			प्रस्तावित व्यवस्था	
क्र0 सं0	पदनाम/पद संख्या पूर्व वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया	पदनाम/पद संख्या वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में))	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी सचिव, विशेष वेतनमान/01 12000-16500 (वेतन बैण्ड-3 एवं 7600)	---	निजी सचिव, विशेष वेतनमान/01 वेतन बैण्ड-3 एवं 7600	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव ग्रेड-1 (वरिष्ठ वेतनमान) से पदोन्नति द्वारा।
2	निजी सचिव ग्रेड-1/02 10000-15200 (वेतन बैण्ड-3 एवं 6600)	---	निजी सचिव ग्रेड-1(वरिष्ठ वेतनमान)/ 02 वेतन बैण्ड-3 एवं 6600	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव से पदोन्नति द्वारा।
3	---	---	निजी सचिव /02 वेतन बैण्ड-3 एवं 5400	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा।
4	---	---	निजी सचिव ग्रेड-1/02 वेतन बैण्ड-2 एवं 4800	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा।
5	निजी सचिव ग्रेड-2/03 6500-10500 (वेतन बैण्ड-2 एवं 4600)	मौलिक रूप से कार्यरत वैयक्तिक सहायक से पदोन्नति द्वारा।	निजी सचिव ग्रेड-2/03 वेतन बैण्ड-2 एवं 4600	मौलिक रूप से कार्यरत वैयक्तिक सहायक से पदोन्नति द्वारा।
6	वैयक्तिक सहायक/09 5500-9000 (वेतन बैण्ड-2 एवं 4200)	60 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता-इण्टर/ हिन्दी आशुलेखन में 80 तथा टंकण	वैयक्तिक सहायक/05 वेतन बैण्ड-2 एवं 4200	मौलिक रुप से कार्यरत आशुलिपिक से पदोन्नति द्वारा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		में 35 श0प्र0मि0। 40 प्रतिशत पर आशुलिपिक से पदोन्नति द्वारा।		
7	आशुलिपिक/04 4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 एवं 2800)	अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया तालिका के नीचे अंकित है।	आशुलिपिक/04 वेतन बैण्ड-1 एवं 2800	शत प्रतिशत सीधी भर्ती हेतु अर्हता तालिका के नीचे अंकित है।
कुल पदों की संख्या-19			कुल पदों की संख्या-19	

(अ) आशुलिपिक के पद पर वर्तमान अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया

50 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता- इण्टरमीडिएट/समकक्ष तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।

50 प्रतिशत पदोन्नति- 05 वर्ष की सेवा वाले ऐसे टंकक जो आशुलिपिक की सीधी भर्ती की अर्हता रखते हो के द्वारा।

(ब) आशुलिपिक के पद सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित अर्हता

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

(2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 प्रति मिनट और 25 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।

(3) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो।

उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव अर्थात प्रशासकीय विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-13/2016/वे0आ0-2-202(1)/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2)कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।